534. Sh. Ishwar Singh, M.L.A.: Will the Welfare of SCs & BCs Minister be pleased to state:-

a) Whether it is a fact that the cases of atrocities against Scheduled Castes have been increased in State;

b) Whether it is also a fact that the conviction rate in abovesaid cases under the Atrocities Act has been decreased in State; if so, the action taken by the Government in this regard; and

c) The reasons for which compensation amount under Atrocities Act has not been fully provided to the aggrieved persons in State?

DR. BANWARI LAL — Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Minister, Haryana.

REPLY

Sir,

(a) The cases of atrocities have slightly increased in the State. The year wise detail of the last 3 years i.e. 2018 to 2020 is as under:-

Sr. No.	Year	Cases registered
1	2018	1026
2	2019	1129
3	2020	1223

(b) No, the conviction rate of atrocities cases has not decreased in the State of Haryana. The details are as under:-

Year	No. of cases disposed off during the year	No. of cases decided on merit ended in		Acquittal due to hostile of witnesses/ statement of accused under section 313 Cr.PC. dispensed.	Proclaimed Offender or death cases	Overall percentage	
		Conviction	Acquittal on merit			of conviction	of acquittal
2018	294	83	117	94	0	42%	58%
2019	363	63	149	146	5	30 %	70%

2020	85	24	27	34	0	47%	53%
2021 Upto June 2021	64	13	14	28	9	48%	52%

Note: Percentage of conviction/acquittal is calculated on the basis of cases decided on merit.

(c) Monetary relief is being provided to the eligible victims/their family or dependents as per the norms of relief as provided in Annexure-I of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules 1995. The data of cases registered under the PoA Act w.e.f. the financial year 2017-18 onward, has been obtained from the field offices which is as under:-

1	Total number of cases registered under SC/ST (PoA) Act, 1989 as per information received from the district police.	5420
2	Cancelled or SC/ST (PoA) Act removed or untraced cases or the victims refused to take the relief. and The cases in which the Hon'ble court has quashed the cases or acquitted the accused and the information regarding the registration of case or submission of Challans was not received in the office of concerned DWO and nor the victims had submitted any application for relief. Relief not payable at present.	1862
3	Total No. of 2715 cases were actually received in the offices of DWOs in which the victims has submit application for relief: i) No. of cases (out of No. of cases shown in col. 3 above) in which fully payable relief has been paid to victims. ii) No. of cases (out of No. of cases shown in col. 3 above) in which partial payment of relief made in which copies of Challans or court decision is awaited which is being collected.	2369 346
4	No. of cases the information of which was not received and nor the victims had submitted any application for relief. Copies of FIRs or Challans or court's decision is being collected.	843

534. श्री ईश्वर सिंह एम. एल. ए.: क्या अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि :–

(क) क्या यह तथ्य है कि राज्य में अनुसूचित जातियों के विरूद्ध अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) क्या यह भी तथ्य है कि राज्य में अत्याचार अधिनियम के अर्न्तगत उपरोक्त मामलों में दोषसिद्धि दर में कमी आई; यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई; तथा

(ग) राज्य में पीड़ित व्यक्तियों को अत्याचार अधिनियम के तहत मुआवजा राशि पूरी तरह से प्रदान न किए जाने के कारण क्या हैं ?

डा0 बनवारी लाल अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री हरियाणा।

———————————————————————————————————

श्रीमान जी,

(क) राज्य में अनुसूचित जातियों के विरूद्ध अत्याचार के मामले थोड़ा–2 बढ़े हैं। वर्ष 2018 से वर्ष 2020 तक का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्रम संख्या	वर्ष	दर्ज मामलो की संख्या
1	2018	1026
2	2019	1129
3	2020	1223

(ख) नहीं, राज्य में अत्याचार अधिनियम के अर्न्तगत उपरोक्त मामलों में दोषसिद्धि दर में कमी नहीं आई। विवरण निम्न प्रकार से है:–

वर्ष	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	मैरिट पर निपटाए गए मामले		गवाहों के मुकरने तथा सी0आर0 पी0 सी0 की धारा 313 के तहत आरोपित का ब्यान खारिज हाने के कारण	आरोपी भगौड़ा घोषित या मृत्यु	कुल प्रतिशत	
		सजा	मैरिट पर बरी के मामले			सजा	बरी
2018	294	83	117	94	0	42 %	58 %
2019	363	63	149	146	5	30 %	70 %
2020	85	24	27	34	0	47 %	53 %
2021 जून 2021 तक	64	13	14	28	9	48 %	52 %

नोट: सजा और बरी होने की प्रतिशतता मैरिट पर निपटाए गए मामलों के आधार पर निकाली गई है।

(ग) योग्य पीड़ित व्यक्तियों/उनके परिवार या आश्रितों को आर्थिक सहायता का भुगतान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के अनुलग्नक–। में दर्शाए गए मापदण्डों के अनुसार दिया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालयों से वित्त वर्ष 2017–18 से अब तक दर्ज मामलों की सूचना प्राप्त की गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1	जिला पुलिस से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत दर्ज मामलों की संख्या	5420
2	रद्व किए गए मामले, ऐसे मामले जिनमें अत्याचार निवारण अधिनियम हटा दिया गया है या पीड़ित लापता है या पीड़ित ने आर्थिक सहायता लेने से इन्कार कर दिया है। और ऐसे मामले जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों को बरी कर दिया गया है या याचिका रद्व कर दी गई है और इन मामलों के दर्ज होने या न्यायालय में चालान की सूचना जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई थी और न ही पीड़ितों द्वारा आर्थिक सहायता के लिए कोई आवेदन किया जिन्हे वर्तमान में आर्थिक सहायत देय नहीं बनती।	1862
3	वास्तव में जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में कुल 2715 मामले प्राप्त हुए थे जिनमें पीड़ितों ने आर्थिक सहायता के लिए आवेदन जमा करवाए हैंः क) कुल मामले (कालम 3 मे उपर दर्शाए गए मामलों में से) जिनमें पीड़ितों को पूर्ण देय आर्थिक सहायता का भुगतान किया गया है। ख) कुल मामले (कालम 3 मे उपर दर्शाए गए मामलों में से) जिनमें पीड़ितों को आंशिक आर्थिक सहायता का भुगतान किया गया है जिनमें चालान या माननीय न्यायालय के आदेशों की प्रति प्राप्त नहीं हुई है जोकि एकत्रित की जा रही हैं।	2369 346
4	ऐसे मामलों की संख्या जिनकी सूचना कार्यालय में प्राप्त नही हुई और न ही पीड़ितों द्वारा आर्थिक सहायता के लिए आवेदन किया गया। एफ0 आई0 आर0, चालान या माननीय न्यायालय के आदेशों की प्रतियां एकत्रित की जा रही हैं।	843